

बड़ी खबर: अब दादा-दादी की जगह पोता भी पा सकेगा अनुकंपा नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की याचिका खारिज की, MP हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, पोते को 30 दिन में नौकरी देने का आदेश

भोपाल / नई दिल्ली। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर देश भर के लाखों कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। अब दादा-दादी की मृत्यु पर उनकी जगह पोता भी अनुकंपा नियुक्ति पा सकेगा। इस पर नियमों के तहत निकट संबंधी के रूप में विचार किया जा सकता है। यह बात पिछले दिनों आए सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें रेलवे को मृत कर्मचारी के पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार और रेलवे की याचिका खारिज कर दी है और पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश को बरकरार रखा है।

ये आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा व विजय बिश्नोई की पीठ ने 28 सितंबर को दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (स्क्रिप्ट) खारिज करते हुए कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई उचित आधार नजर नहीं आता। क्या है पूरा मामला? यह मामला पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल से जुड़ा है। रेलवे ने जितेंद्र वर्मा को दादी की मृत्यु के बाद उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया था। मामले के मुताबिक जितेंद्र के दादा की 2002 में मृत्यु हो गई, उसके पिता की भी 2006 में मृत्यु हो गई।

जितेंद्र का पालन पोषण उनकी दादी छमा बाई ने किया जो कि पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में हेल्पर-2 / खलासी के तौर पर नौकरी करती थीं। 19 जून 2016 को नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। जितेंद्र का नाम 2007 में ही छमा बाई के सर्विस रिकॉर्ड में उत्तराधिकारी / नामिनी के रूप में दर्ज हो चुका था। जितेंद्र ने 30 जनवरी 2018 को सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र भी हासिल किया और दादी की जगह अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया। हालांकि रेलवे ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया के भुगतान तक सीमित मानते हुए नियुक्ति के लिए स्वीकार नहीं किया। हालांकि इसमें विवाद नहीं था कि जितेंद्र परिवार का अकेला जीवित सदस्य था। जितेंद्र ने दावा किया था कि वह छमा बाई का गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन रेलवे ने गोद लेने की वैधता पर सवाल उठाया और बाद में उसका दावा खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की अनुकंपा नियुक्ति नीति के क्लॉज-3 में केवल पुत्र, पुत्री, विधवा या विधुर ही नहीं, बल्कि निर्धारित शर्तों के तहत %निकट संबंधी% तथा वैध रूप से गोद लिए गए पुत्र-पुत्री को भी नियुक्ति का लाभ देने का प्रविधान है। कहा कि जितेंद्र को दत्तक पुत्र न मानने की स्थिति में भी वह मृत कर्मचारी का पोता होने के कारण निकट संबंधी की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने रेलवे द्वारा बार-बार दावा खारिज किए जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य ही समय पर राहत देना है। कोर्ट ने 30 दिन में अनुकंपा नियुक्ति देने तथा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया था। रेलवे ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के याचिका खारिज करने से हाई कोर्ट का 25 फरवरी 2026 का फैसला बरकरार है, जिसमें पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने पर विचार करने का आदेश दिया गया था।

फार्मा, बायोटेक और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में निवेश का प्रमुख केंद्र बनेगा मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव



भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश फार्मा, बायोटेक और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में निवेश के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध करा रहा है। प्रदेश में दवा निर्माण, सक्रिय औषधीय घटक (एपीआई), अनुसंधान, परीक्षण और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, विकसित औद्योगिक क्लस्टर, कुशल मानव संसाधन और निवेश प्रोत्साहन इस दिशा में मजबूत आधार प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुंबई में फार्मा सेक्टर की राउंड टेबल चर्चा में प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद किया। चर्चा में प्रदेश में फार्मा विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, निर्यात और नई तकनीक पर आधारित निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। भारत की फार्मा विकास यात्रा में मध्यप्रदेश की मजबूत भागीदारी- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत आज 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में पहचाना जाता है। भारतीय दवाएं 200 से अधिक वैश्विक बाजारों तक पहुंच रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का फार्मा निर्यात 30.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इस राष्ट्रीय विकास यात्रा में मध्यप्रदेश एक मजबूत,

भरोसेमंद और तेजी से उभरता हुआ भागीदार है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में निर्मित फार्मा उत्पाद 160 से अधिक देशों तक पहुंचते हैं। वर्ष 2023-24 में प्रदेश से लगभग 11,889 करोड़ रुपये के फार्मा उत्पादों का निर्यात दर्ज किया गया। प्रदेश का मौजूदा विनिर्माण आधार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ाव नई निवेश परियोजनाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। प्रदेश में 300 से अधिक फार्मा कंपनियां, विकसित क्लस्टर और कुशल मानव संसाधन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में 300 से अधिक फार्मा कंपनियां और 30 से अधिक एपीआई एवं बल्क ड्रग विनिर्माता हैं। इंदौर, पीथमपुर-धार, भोपाल-रायसेन, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, भिंड और मुरैना में फार्मा उद्योग का आधार विकसित हुआ है। इंदौर क्लस्टर में 96 से अधिक, पीथमपुर-धार में 57 से अधिक और भोपाल-रायसेन में 36 से अधिक फार्मा इकाइयां दर्ज हैं। प्रदेश में 40 मेडिकल कॉलेज, 200 से अधिक फार्मेसी कॉलेज और 140 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश निवेशकों को भूमि के साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन, परिवहन संपर्क और बाजार तक पहुंच की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है।

जानिए क्या है अस्पृश्यता का अंत, मौलिक अधिकार- Fundamental of Right

अस्पृश्यता मानव जीवन का एक कलंक माना जाता है। आज भी लोगों के दिमाग से छुआछूत की भावना बनी हुई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक नागरिकों समानता का अधिकार प्राप्त है। समानता का अर्थ यही है कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग आदि पर भेदभाव करना संविधान का उल्लंघन होता है। जानते हैं इसी संदर्भ में अनुच्छेद 17 क्या है? भारतीय संविधान अधिनियम, 1955 के अनुच्छेद 17 की परिभाषा- यह अनुच्छेद अस्पृश्यता (भेदभाव, छुआछूत) का अंत करता है एवं कोई भी व्यक्ति-व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकेगा और अगर वह ऐसा करता है तो यह संवैधानिक अधिकार पर अतिक्रमण होगा। अनुच्छेद 17 पर विधि-



लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 35 के अधीन संसद ने सन् 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 पारित किया था, इस अधिनियम में छुआछूत के अपराध के लिए दण्ड व्यवस्था करता एवं सजा का प्रावधान था। इसके बाद सन् 1967 द्वारा संशोधन करके अस्पृश्यता के पालन करने के लिए विहित दण्ड को और भी कठोर बना दिया गया एवं इस अधिनियम का नाम को बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कर दिया गया। इसके अधीन लोकसेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त अपराधों की जाँच करें एवं समुचित कार्यवाही तुरंत करें अगर लोकसेवक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है एवं जानबूझकर कर्तव्य की

उपेक्षा करता है तब उसे भी दण्ड दिया जाएगा। अस्पृश्यता का अर्थ- भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द को कहाँ भी परिभाषित नहीं किया है लेकिन न्यायालय द्वारा समय-समय पर इसका अर्थ बताया गया है। जैसे निम्न वर्गों के साथ छुआछूत करना, रोगी से भेदभाव करना, जातिप्रथा के अनुसार भेदभाव उत्पन्न करना, मृत्यु के कारण अस्पृश्यता करना आदि। नोट- उच्चतम न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ में अधिनियमित किया है कि अनुच्छेद 17 का मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध उल्लंघन तो है ही यह प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उल्लंघन माना जायेगा, अर्थात् कोई व्यक्ति छुआछूत जैसा व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई जा सकती है क्योंकि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है

नरसिंहपुर की बेटी आयुषी अहिरवार ने रचा इतिहास, राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान!

हल्केवीर सूर्यवंशी सभागीय संवाददाता

नरसिंहपुर। जिले की बेटी आयुषी अहिरवार ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश की राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर जिले और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। आयुषी गुरुकुलम इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं। 'मेरे सपनों का भारत' विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 42 हजार से अधिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में करीब 50 लाख बच्चों की सहभागिता रही, जिसमें आयुषी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आयुषी की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की उपस्थिति में उन्हें सम्मानित किया



गया। यह उपलब्धि न केवल आयुषी के परिवार और विद्यालय, बल्कि नरसिंहपुर जिले के लिए भी गौरव का विषय है। आयुषी की सफलता से विद्यालय परिवार, शिक्षकगण, सहपाठियों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। उनकी उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनी है। एक बेटी की सफलता ने नरसिंहपुर का मान बढ़ाया-आयुषी को हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।

बाल विवाह रोकथाम के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी तैनात,यूनिसेफ द्वारा मार्गदर्शिका का विमोचन

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए 35 हजार से अधिक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का व्यापक मैदानी तंत्र तैयार किया गया है। अब बाल विवाह के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लक्षित कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अकादमी में आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में बाल विवाह रोकथाम की रणनीति, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के समन्वय पर मंथन हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए शासन, प्रशासन और समाज को मिलकर प्रभावी एवं समन्वित प्रयास करने होंगे। बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए तैनात बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी केवल कानून के क्रियान्वयनकर्ता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत। मंत्री सुश्री भूरिया मंगलवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही बाल विवाह के मामलों में समयबद्ध हस्तक्षेप, समन्वय और संवेदनशील कार्रवाई के लिए सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और कौशल का वास्तविक प्रभाव मैदानी स्तर पर दिखाई देना चाहिए।



मध्यप्रदेश ने बाल विवाह रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के अनुसार 20-24 वर्ष की महिलाओं में 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह का अनुपात 23.1 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत रह गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' से बाल विवाह उन्मूलन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मिली है। मध्यप्रदेश में भी बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रभावी, समन्वित और सतत प्रयासों को मजबूत किया जा रहा है। बताया गया कि प्रदेश में 35 हजार से अधिक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को विभिन्न विभागों से नामित किया गया है। यह व्यवस्था ग्राम स्तर तक निगरानी और बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने के लिए है। जिला स्तर से लेकर अनुभाग, तहसील, विकासखंड, सेक्टर, ग्राम और नगरीय क्षेत्रों तक अधिकारियों की मौजूदगी का उद्देश्य यही है कि बाल विवाह की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई प्रशासन के

किसी दूरस्थ स्तर तक पहुंचने का इंतजार न करे, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही त्वरित हस्तक्षेप संभव हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में 18 वर्ष से पहले विवाह होने पर लाभ नहीं मिलने का प्रावधान बालिकाओं को शिक्षा से जोड़े रखने और परिवारों को बाल विवाह से दूर रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विभाग द्वारा 'बाल विवाह मुक्त ग्राम' पहल शुरू की गई है। इसके तहत ऐसे ग्रामों को मान्यता दी जा रही है, जहां पिछले एक वर्ष में कोई बाल विवाह नहीं हुआ है। यह पहल केवल बाल विवाह रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय को बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि किशोरियों के लिए जीवन कौशल शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, डिजिटल साक्षरता और नेतृत्व विकास जैसे कार्यक्रम उन्हें अपने जीवन से जुड़े निर्णयों में सक्षम बना रहे हैं। प्रशिक्षण में शामिल अधिकारियों से कहा कि देवउठनी ग्यारस

जैसे संवेदनशील अवसरों को देखते हुए बाल विवाह की रोकथाम के लिए अभी से तैयारियां तेज करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के जोखिम वाले परिवारों तक केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ पहुंचना होगा। गरीबी, सामाजिक दबाव, असुरक्षा और अवसरों की कमी कई बार बाल विवाह के पीछे कारण बनते हैं। ऐसे में कानून के साथ परामर्श, शिक्षा, सामाजिक सहयोग और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है। आयुक्त महिला बाल विकास संदीप जी.आर. ने कहा है कि मध्यप्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए अब सामान्य प्रयासों से आगे बढ़कर बाल विवाह प्रभावित क्षेत्रों में हॉटस्पॉट आधारित और लक्षित कार्रवाई पर विशेष ध्यान देना होगा। जिन ग्राम पंचायतों, विकासखंडों और जिलों में बाल विवाह की घटनाएं अधिक हैं, वहां उपलब्ध आंकड़ों और साक्ष्यों के आधार पर योजनाबद्ध एवं समयबद्ध कार्रवाई

सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के प्रयासों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला, अनुभाग, तहसील, विकासखंड, सेक्टर, ग्राम और शहरी निकाय स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि बाल विवाह की पहचान, रोकथाम और आवश्यक कार्रवाई के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभावी तंत्र विकसित हो सके। महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग के बिना बाल विवाह की रोकथाम के प्रयास पूर्ण नहीं हो सकते। इसी व्यापक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की जिला कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के सुदृढ़ प्रवर्तन पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। यूनिसेफ के राज्य प्रमुख विलियम हेनलोन जूनियर ने कहा कि किशोरावस्था भविष्य निर्माण का महत्वपूर्ण चरण है। बाल विवाह रोकने के लिए जरूरी है कि किशोर-किशोरियां शिक्षा से जुड़े रहें, सुरक्षित रहें, जीवन कौशल सीखें और अपने जीवन से जुड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी हो। इससे बाल विवाह की रोकथाम के साथ समाज के विकास को भी गति मिलेगी। इस अवसर पर मंत्री सुश्री भूरिया ने यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम पर आधारित मार्गदर्शिका तथा प्रशिक्षण मोड्यूल का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने परिसर में लगे प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

एम्स भोपाल की कुपोषण मुक्त समाज की ओर पहल,आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण जागरूकता कार्यक्रम

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय पोषण माह 2026 (9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026) के अंतर्गत एम्स भोपाल के आहार विज्ञान विभाग ने 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' थीम पर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम किए। कार्यक्रम चिकित्सा अधीक्षक एवं उप चिकित्सा अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ भावना अहरवार की निगरानी में हुए। इनका मुख्य उद्देश्य मातृ एवं बाल पोषण में सुधार करना और समाज को कुपोषण से मुक्त बनाने की दिशा में जागरूक करना था। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1024- वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ अस्मिताबेन चावड़ा एवं टीम (अमृता सक्सेना, एन. श्रीनिवास राव, सम्युक्ता गौड़, शशि सिंह, एस. आरती) के सहयोग से लगभग 70 लाभार्थियों को प्रसव-पूर्व देखभाल और पोषण के महत्व पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सत्तू पेय व अंकुरित अनाज चाट का रसिपी प्रदर्शन और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 768- इस पांचवीं जागरूकता गतिविधि में वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ मंजरी ताम्रकार एवं टीम (अमृता सक्सेना, एन. श्रीनिवास राव, निधि वैद्य, शची सोनकर, एस. आरती) के सहयोग से करीब 100 लाभार्थियों के लिए स्थानीय एवं किफायती पौष्टिक व्यंजनों (जैसे सोया कबाब, रागी इडली, मिलेट पुलाव) की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही छछ-सत्तू पेय व प्रोटीन भेल का लाइव रसिपी प्रदर्शन किया गया और मिलेट पुलाव, सेब व लेखन सामग्री किट का वितरण हुआ।



यूसीसी पर परिचर्चा- अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में एमसीबी जिले के प्रतिनिधिमंडल ने रखे विचार



परिचर्चा में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले से पहुंचे एक प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए यूसीसी के संबंध में पक्ष और विपक्ष के जनसमर्थन के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई अहम विषयों पर विस्तृत मंथन हुआ।

प्रतिनिधियों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेदों, वर्तमान व्यक्तिगत (पर्सनल) कानूनों की स्थिति, कानून के समक्ष समानता तथा महिलाओं के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी राय रखी। साथ ही छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर जनमत के विभिन्न पहलुओं पर भी गहन चर्चा की गई।

एमसीबी जिले से शामिल होने वाले प्रमुख पदाधिकारियों व प्रबुद्धजनों में जनार्दन केवट (ओबीसी मंडल अध्यक्ष, जिला एमसीबी), सतीश उपाध्याय (प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, शिक्षा प्रकोष्ठ, भाजपा), आदित्य राज डेविड (जिला महामंत्री, अल्पसंख्यक मोर्चा, जिला एमसीबी) एवं विनोद तिवारी (साहित्यकार व ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष, जिला एमसीबी) शामिल रहे। इन सभी प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात मजबूती से रखी।

कैलाश कुमार अहिरवार- सह संपादक (युवा प्रदेश)

अंबिकापुर / मनेंद्रगढ़ - शासकीय पीजी

कॉलेज, अंबिकापुर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस

'कृमि मुक्ति दिवस' प्रदेशभर में कृमिनाशन अभियान चला कर एल्बेंडाजोल की निर्धारित खुराक दी गई



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत मंगलवार को प्रदेशभर में कृमिनाशन अभियान चलाया गया। पहले दिन 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 1.12 करोड़ बच्चों एवं किशोरों को एल्बेंडाजोल की निर्धारित खुराक दी गई। वहीं प्रजनन आयु वर्ग की करीब 1 लाख महिलाओं को भी कृमिनाशक दवा दी गई। अभियान का उद्देश्य बच्चों, किशोरों और लक्षित महिलाओं में आंतों के कृमि संक्रमण को रोकना है। नियमित कृमिनाशन से पोषण संबंधी समस्याओं और एनीमिया के

जोखिम को कम करने के साथ बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और शारीरिक-मानसिक विकास में मदद मिलती है। कृमिनाशन गतिविधियां स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थाओं सहित विभिन्न सेवा केंद्रों पर आयोजित की गई। अभियान में छूटे पात्र हितग्राहियों को दवा देने के लिए 9 अक्टूबर को मॉप-अप राउंड आयोजित किया जाएगा। इसमें पहले दिन अनुपस्थित रहे या किसी कारण से एल्बेंडाजोल की खुराक नहीं ले सके बच्चों, किशोरों और लक्षित महिलाओं को दवा दी जाएगी।

वन्य-जीव संरक्षण के प्रति जन-भागीदारी एवं जागरूकता बढ़ाने के संकल्प के साथ वन्य-जीव सप्ताह का समापन

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल में वन्य-जीव सप्ताह-2026 के समापन अवसर पर बुधवार 7 अक्टूबर को विविध कार्यक्रमों का आयोजन गरिमापूर्ण एवं उत्साहपूर्ण किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वन्य-जीवों एवं जैव-विविधता के संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना तथा वन्य-जीव संरक्षण में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने उद्घोषण में उन्होंने सुरक्षित वन, समृद्ध वन्य-जीव, सशक्त समुदाय और वैज्ञानिक वन प्रबंधन पर प्रकाश डाला। वन्य-जीव संरक्षण में जन-भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही वन्य-जीव एवं जैव-विविधता का संरक्षण केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी है। वन एवं वन्य-जीव मानव



जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वन्य-

जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान श्री विजय कुमार द्वारा स्वागत उद्घोषण प्रस्तुत करते हुए वन्य-जीव सप्ताह-2026 के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों, अधिकारियों-कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों को वन्य-जीव एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने तथा वन एवं वन्य-जीवों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ दिलाई गई। उपस्थितजनों ने प्रकृति, वन्य-जीव एवं जैव-विविधता के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता का संकल्प लिया। इस अवसर पर भोपाल बर्ड फेस्टिवल-2027 के पोस्टर का विमोचन किया गया। यह आयोजन भोपाल बर्ड्स संस्था द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैव-विविधता बोर्ड एवं मध्यप्रदेश वन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। पोस्टर विमोचन के माध्यम से भोपाल की समृद्ध पक्षी विविधता, पक्षी संरक्षण एवं नागरिकों

की सहभागिता को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। साथ ही 'बर्ड्स, कॉल्स ऑफ वन विहार नेशनल पार्क' पोस्टर का भी विमोचन किया गया। यह पोस्टर भोपाल बर्ड्स एवं वन विहार नेशनल पार्क द्वारा तैयार किया गया है। इसके माध्यम से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले पक्षियों की विविधता एवं उनकी विशिष्ट आवाजों के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया गया है वन्य-जीव सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के उन कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने दायित्वों का उत्कृष्ट निर्वहन करते हुए वन्य-जीव संरक्षण, प्रबंधन एवं जन-जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इस अवसर पर वन्य-जीव प्रेमी, प्रकृति एवं पक्षी विशेषज्ञ, प्रतियोगिताओं के प्रतिभागी तथा अन्य अतिथि उपस्थित रहे।

जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्यावहारिक संतुलन चाहिए

आजकल समाज में एक अजीब असंतुलन दिख रहा है। किसी के पास बहुत पैसा है, लेकिन समाज साथ नहीं है। किसी के पास पैसा और समाज दोनों हैं, लेकिन धर्म, संस्कृति और राजनीति का बोध नहीं है। किसी के पास पैसा, राजनीति, समाज और संस्कृति सब है, लेकिन धर्म नहीं है। और किसी के पास केवल धर्म है, बाकी कुछ भी साथ नहीं। इस असंतुलन से ही जीवन में दुःख आ रहा है।

सच यह है कि जीवन में बराबर नहीं, आनुपातिक संतुलन होना चाहिए। जैसे शरीर पांच तत्वों से बना है, पर सबका अनुपात अलग-अलग है, वैसे ही हमारा जीवन भी पांच आयामों में बंटा है। मेरा मानना है कि एक सामान्य व्यक्ति और परिवार को अपना जीवन व्यवहारिक रूप



से इस संतुलन में जीना चाहिए।

1. आर्थिक - 40 फीसदी ऊर्जा यह जीवन की नींव है। नौकरी, खेती, दुकान, बचत - सुबह की सबसे ताजी ऊर्जा इसी को देनी चाहिए। यह हिला तो बाकी चारों आयाम डगमगा जाते हैं।
2. सामाजिक - 25 फीसदी ऊर्जा हम कमा किसके लिए रहे हैं? परिवार और मित्रों के लिए। रोज शाम एक घंटा बिना मोबाइल के परिवार को देना, हफ्ते में एक बार समाज के बीच बैठना। यह आपका ऊर्जा बैंक है, बुरे वक्त में यहीं से सहारा मिलता है।
3. सांस्कृतिक / व्यक्तिगत विकास - 15 फीसदी ऊर्जा सेहत, शौक, पढ़ना, घूमना। यही आपको भीड़ से अलग इंसान बनाता है, वरना आदमी सिर्फ कमाने-खाने की मशीन बन जाता है।

4. धार्मिक / आध्यात्मिक - 10 फीसदी ऊर्जा धर्म कर्मकांड नहीं है। यह भाव है कि मुझसे बड़ा भी कुछ है। रोज 20 मिनट का मौन या चिंतन लालच और डर दोनों को काबू में रखता है।

5. राजनीतिक - 10 फीसदी ऊर्जा इसका मतलब पार्टी नहीं, जागरूकता है। गांव-शहर-देश की खबर रखना, पंचायत में अपनी बात रखना, समझ कर वोट देना। जागरूक रहना है, दिन भर बहस में नहीं उलझना।

गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम 10 फीसदी वाले काम को 70 फीसदी बना लेते हैं। कोई दिन भर राजनीति में उलझा है तो उसका आर्थिक पक्ष खत्म हो जाता है। कोई सिर्फ पूजा-पाठ में लगा है तो उसके सामाजिक रिश्ते टूट जाते हैं। इसी कारण कई अच्छे लोगों का बुढ़ापा बहुत दुख भरा

होता जा रहा है, भले ही उनके पास पद, प्रतिष्ठा और पैसा बहुत है। उनके खुद के बच्चे और रिश्तेदार तक साथ नहीं दे रहे हैं।

अर्थात् यही आनुपातिक मॉडल असली मध्यम मार्ग है। तथागत बुद्ध ने कहा है - अतः दीपो भव! अपना दीपक खुद बनो, अपना अनुपात खुद तय करो।

जब हर व्यक्ति इस मध्यम मार्ग पर चलता है, तब जो समाज बनता है, उसी को संत रविदास जी ने बेगमपुरा कहा है - ऐसा शहर जहाँ कोई गम नहीं।

बेगमपुरा कोई नक्शे का शहर नहीं, आनुपातिक जीवन जीने वाले लोगों से बना समाज है।

लेखक -
अतर सिंह भारतीय
सामाजिक कार्यकर्ता, मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में सेवा संकल्प के तहत हुआ आयोजन



पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम में आज दिनांक 3 अक्टूबर 2026 को सेवा संकल्प के अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान चलाया गया।

अभियान के प्रथम चरण में प्राचार्य डॉ. कमल वाधवा ने समस्त विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। शपथ के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर से जनजागरूकता रैली निकाली गई। रैली

के दौरान विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति के नारे लगाकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया।

कार्यक्रम के द्वितीय चरण में एक दिवसीय नशा मुक्ति कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यशाला में सेवा संकल्प संयोजक डॉ. के.जी. मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में धकेल देता है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वयं, समाज और राष्ट्र के

नवनिर्माण में योगदान देने के उपयोगी सुझाव दिए।

डॉ. ईरा वर्मा ने नशे के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ युवा ही नशा मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं को समाज, प्रदेश और राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने में आगे आकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। डॉ. आरती सिंह ने भी विद्यार्थियों को नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हानियों से अवगत कराया। कार्यशाला का संचालन श्री मयंक रैकवार ने किया। उन्होंने नशा मुक्त भारत का नारा लगवाया और अपनी स्वरचित नशा मुक्ति कविता का वाचन कर युवाओं में जोश भरा।

कार्यक्रम में रोहित मालवीय, शिवम यादव, शिवम देवांग, ललित गौर, शिवानी यादव, आकाश यादव, रक्षा यादव, सत्यम राजपूत, तनिष्क गौर, प्रवीण गौर सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

विधि महाविद्यालय की रासेयो इकाई ने ग्राम बुधवाड़ा में किया जनजागरूकता नुकड़ नाटक



शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का दिया संदेश

पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम।

शासकीय विधि महाविद्यालय, नर्मदापुरम की राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो) इकाई द्वारा ग्राम बुधवाड़ा में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु नुकड़ नाटक का मंचन किया गया।

कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज के मार्गदर्शन एवं विभागाध्यक्ष शिवाकांत मौर्या के नेतृत्व में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की रूपरेखा रासेयो कार्यक्रम अधिकारी डॉ. महेन्द्र कुमार पटेल ने प्रस्तुत की।

रासेयो स्वयंसेवकों ने नुकड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणजनों को शासन की

विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, उनके उद्देश्य, पात्रता और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी सरल एवं रोचक अंदाज में दी। स्वयंसेवकों ने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने का संकल्प दिलाया। नुकड़ नाटक में सूत्रधार की मुख्य भूमिका एलएलएम की छात्रा रीना रायकवार ने निभाई। उनके साथ प्रथमेश दीक्षित, शिखा, रोहित, मुकेश, संस्कार, पायल सहित अन्य स्वयंसेवकों ने प्रभावी अभिनय किया, जिसे ग्रामीणों ने खूब सराहा। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने सेवा, जनभागीदारी और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से विकसित एवं आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।



निवेश से रोजगार तक, उद्योगों को हर कदम पर मिलेगा सहयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियां, पारदर्शी प्रक्रियाएं और औद्योगिक सुविधाएं प्रदेश को निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनाती हैं। राज्य सरकार नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए आवश्यक सहयोग एवं अनुमतियां समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक भूमि, अधोसंरचनात्मक और कुशल कार्यबल निवेशकों को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुंबई में आयोजित 'मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद' कार्यक्रम में विभिन्न सेक्टरों के निवेशकों से भी मुलाकात की। उन्होंने निवेश योजनाओं और औद्योगिक विस्तार पर चर्चा करते हुए प्रतिनिधियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट - 2027 में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मुंबई रोड शो में विभिन्न उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ दिनभर हुई बैठकों में मध्यप्रदेश को लगभग 90 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

जेएसडब्ल्यू समूह ने सीमेंट, पेंट और अन्य व्यवसायों के विस्तार में दिखाई रुचि मुख्यमंत्री डॉ. यादव से जेएसडब्ल्यू समूह के श्री पार्थ जंदल ने प्रदेश में समूह की मौजूदा औद्योगिक उपस्थिति और विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। समूह की गतिविधियों में ग्वालियर में पेंट, धार में इस्पात, पन्ना में चूना पत्थर खनन तथा दमोह के गैसाबाद और हटा में सीमेंट से जुड़े कार्य शामिल हैं।

बैठक में सीमेंट, पेंट और अन्य व्यवसायों के विस्तार, प्रगतिरत परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन तथा भविष्य के

रणनीतिक निवेश अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ। समूह ने परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार के सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

अक्षय ऊर्जा और भंडारण में अवादा का 22,156 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव अध्यक्ष अवादा समूह श्री प्रशांत चौबे ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से सौर, पवन, नियमित उपलब्धता वाली नवकरणीय ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर चर्चा की। समूह वर्ष 2013-14 से मध्यप्रदेश में कार्यरत है। नीमच में 151 मेगावाट और आगर सोलर पार्क में 280 मेगावाट की सौर परियोजनाएं इसकी मौजूदा उपस्थिति का हिस्सा हैं।

समूह ने कुल 2,362 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 22,156 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें पंचोरा में 6,616 करोड़ रुपये, ईशानगर में 3,250 करोड़ रुपये और नीमच में 12,290 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

बैठक में परियोजनाओं के शीघ्र पंजीकरण, समूह की कंपनियों एवं विशेष प्रयोजन संस्थाओं द्वारा पंजीकरण के उपयोग, शासकीय भूमि आवंटन और भूमि अधिकारों के पट्टे अथवा हस्तांतरण की अनुमति पर चर्चा हुई। आगर मालवा में पवन ऊर्जा पंजीकरण को 201.3 मेगावाट से बढ़ाकर 264 मेगावाट करने तथा समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एकल-खिड़की सहयोग की अपेक्षा की गई।

पीथमपुर में एनक्यूब एथिकल्स का 1,200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. यादव से एनक्यूब एथिकल्स प्रायवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मेहुल मधुसूदन शाह ने फार्मास्यूटिकल विनिर्माण के विस्तार पर चर्चा की। कंपनी की मध्यप्रदेश में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, पीथमपुर में इकाई है।

शहडोल में दोहरा हत्याकांड! बंद कमरे में मिले मां-बेटी के सड़े-गले शव, विवाद शांत कराने आई सास भी बनी शिकार, आरोपी पति फरार



कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

शहडोल / गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव में एक बंद कमरे के भीतर मां-बेटी के सड़े-गले शव मिलने की घटना ने सनसनी फैला दी है। दोहरे हत्याकांड की इस वारदात के बाद पुलिस ने मृतका के पति दिनेश रजक को मुख्य आरोपी मानते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है।

?पारिवारिक विवाद शांत कराने आई थी मां- ग्रामीणों के अनुसार, मृतका रुचि रजक (30 वर्ष) का पति दिनेश रजक आए दिन उसके साथ मारपीट और लड़ाई-झगड़ा करता था। इसी विवाद को शांत कराने और समझौता कराने के उद्देश्य से सीधी जिले के मझौली से मां सावित्री रजक (45 वर्ष) अपनी बेटी के घर नवागांव आई हुई थीं। ?बदबू आने पर डायल 112 को दी सूचना घर से कई दिनों तक कोई हलचल न होने और कमरे से तेज दुर्गंध



आने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। ग्रामीणों ने तत्काल %डायल 112 पर सूचना दी। खबर मिलते ही डायल 112 की टीम और गोहपारू थाना प्रभारी जय नारायण शर्मा अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ?घटना के दिन से ही आरोपी पति फरार पुलिस ने जब कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर रुचि रजक और उनकी मां सावित्री रजक के शव पड़े मिले, जो लगभग 5 दिन पुराने बताए जा रहे हैं।

वारदात के बाद से ही संदेही पति दिनेश रजक फरार चल रहा है, जिससे हत्या की आशंका और पक्की हो गई है।

?पुलिस जांच में जुटी थाना प्रभारी जय नारायण शर्मा के नेतृत्व में गोहपारू पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी दिनेश की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है।

आवास एवं छात्रवृत्ति के नाम पर कथित अवैध वसूली के विरोध में छात्रों का आंदोलन

हल्केवीर सूर्यवंशी संग्रामीय संवाददाता

भोपाल। शासकीय पीएम श्री एक्सिलेंस (हमीदिया) महाविद्यालय, भोपाल में छात्रों से आवास एवं छात्रवृत्ति के नाम पर कथित अवैध वसूली एवं रिश्वत की मांग के विरोध में छात्रों ने आंदोलन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

छात्रों ने आरोप लगाया कि आवास एवं छात्रवृत्ति से संबंधित कार्यों के लिए उनसे अनुचित राशि की मांग की जा रही है। छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, अवैध वसूली पर रोक लगाने तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

छात्रों ने प्रशासन को 7 दिनों का समय देते हुए कहा है कि यदि इस अवधि में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो छात्र इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। छात्रों ने स्पष्ट किया कि



आगामी आंदोलन की जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन एवं संबंधित शासन-प्रशासन की होगी। छात्रों की मांग है कि छात्रवृत्ति एवं आवास

से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया जाए और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की आर्थिक अनियमितता या परेशानी का सामना न करना पड़े।



उत्तीस लाख वोटर मन के,
नाम ला इही मन काटिन हे।
एस आई आर के बहाना करके,

मनखे चीन्ह-चीन्ह के छाटिन हे।।
अब ओमन ला फेर जोड़े के,
सांय-सांय अभियान चलावत हे।

पहिली अरबो रुपिया बोहाइन।
अब फेर करोड़ों बोहावत हे।।
लक्ष्मी नारायण कुमकार सचेत दुर्ग (छोगो)

साइबर ठगों का नया जाल! प्रधानमंत्री
आवास योजना की लिस्ट के नाम पर ऐप
फाइल भेजकर हो रहे हैं मोबाइल हैक



व्हाट्सएप पर फर्जी फाइल और लिंक से रहें
सावधान, बैंक खाते से पैसे निकलने और परिचितों
से ठगी का खतरा

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेन/उदयपुर। आजकल व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट, सरकारी योजनाओं के लाभ और अन्य जरूरी दस्तावेजों के नाम पर ऐप फाइलें भेजकर साइबर फ्रॉड करने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसी संदिग्ध फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल करने से मोबाइल और निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है।

साइबर ठग मोबाइल की जानकारी और बैंकिंग से जुड़े विवरण चुराकर खाते से पैसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी का व्हाट्सएप अकाउंट अपने नियंत्रण में लेकर उसके परिचितों को मैसेज भेजकर पैसे भी मांगे जा सकते हैं।

सावधानी ही बचाव है। अनजान नंबर से आई ऐप फाइल या संदिग्ध लिंक को डाउनलोड और इंस्टॉल न करें। किसी को ओटीपी, बैंकिंग जानकारी या व्हाट्सएप सत्यापन कोड न बताएं। यदि आपके नाम से कोई पैसे मांगे, तो पहले फोन करके पुष्टि करें।

साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या +राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल+ (<https://cybercrime.gov.in/>) पर शिकायत दर्ज करें।

महापरिनिर्वाण दिवस विशेष: मान्यवर कांशीराम साहब को नमन बहुजन समाज को संगठित करने में निभाई ऐतिहासिक भूमिका

9 अक्टूबर विशेष 7 सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और राजनीतिक भागीदारी के लिए जीवन समर्पित करने वाले बहुजन आंदोलन के प्रमुख नेता की पुण्यतिथि आज

लेखक- हल्केवीर सूर्यवंशी

नई दिल्ली। भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में मान्यवर कांशीराम साहब का नाम एक ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में दर्ज है, जिन्होंने वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों को संगठित करने तथा उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर देशभर में उन्हें याद किया जा रहा है। वर्ष 2006 में इसी दिन उनका निधन हुआ था। उनके विचार, संगठन निर्माण की रणनीति और सामाजिक परिवर्तन का संकल्प आज भी बहुजन आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

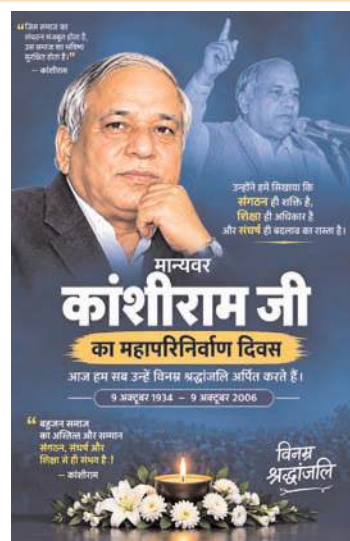
15 मार्च 1934 को हुआ था जन्म
मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के तत्कालीन रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। उन्होंने विज्ञान विषय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और सरकारी सेवा में कार्य किया। नौकरी के दौरान सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव से जुड़े अनुभवों ने उनके जीवन की दिशा को प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन समाज के वंचित वर्गों को जागरूक करने, संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने में लगा दिया।

BAMCEF से शुरू हुआ संगठन निर्माण का सफर

कांशीराम साहब का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल व्यक्तिगत उन्नति पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के लोगों को संगठित करना और उनमें अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना भी आवश्यक है। इसी सोच के साथ उन्होंने सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों को संगठित करने की दिशा में काम किया। ब्रह्मध्वज के माध्यम से उन्होंने सामाजिक जागरूकता और संगठन निर्माण पर जोर दिया। इसके बाद वर्ष 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति (धस-4) के जरिए उन्होंने व्यापक जनसंपर्क और सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। सभाओं, बैठकों और यात्राओं के माध्यम से उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने का प्रयास किया।

14 अप्रैल 1984 को की बहुजन समाज पार्टी की स्थापना

मान्यवर कांशीराम साहब के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की स्थापना रहा। पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुजन समाज के विभिन्न वर्गों



को राजनीतिक रूप से संगठित करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया।

उनकी राजनीति का प्रमुख केंद्र सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और वंचित समुदायों के अधिकार रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों की आवाज निर्णय लेने वाली संस्थाओं तक पहुंचनी चाहिए। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर भारत की राजनीति में अपनी पहचान बनाई और बहुजन प्रतिनिधित्व का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर

पर चर्चा में आया।
मायावती को आगे बढ़ाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

कांशीराम साहब ने मायावती को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाद में मायावती बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख नेता बनीं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचीं। इसे बहुजन राजनीति में नेतृत्व निर्माण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जाता है।

‘द चमचा एज’ के माध्यम से रखे अपने विचार- कांशीराम साहब संगठनकर्ता होने के साथ-साथ लेखक भी थे। उनकी चर्चित पुस्तक The Chamcha Age में सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर उनके विचार सामने आते हैं। उन्होंने स्वतंत्र नेतृत्व, संगठन की ताकत और वंचित समुदायों की राजनीतिक आवाज को महत्वपूर्ण माना। उनके भाषणों और विचारों में शिक्षा, जागरूकता, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी पर विशेष जोर दिखाई देता है।

9 अक्टूबर 2006 को हुआ निधन

मान्यवर कांशीराम साहब का निधन 9 अक्टूबर 2006 को नई दिल्ली में हुआ था। उस समय उनकी आयु 72 वर्ष थी। उनके निधन के बाद भी उनके द्वारा स्थापित संगठन और उनके विचार सामाजिक न्याय

तथा बहुजन राजनीति से जुड़ी चर्चाओं का हिस्सा बने हुए हैं। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज भी प्रासंगिक हैं उनके विचार वर्तमान समय में शिक्षा, समानता, रोजगार, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर चर्चा के बीच कांशीराम साहब का जीवन सामाजिक आंदोलनों और संगठन निर्माण को समझने का अवसर देता है। उनकी विरासत को याद करने का अर्थ उनके विचारों का अध्ययन करना, संवैधानिक मूल्यों को समझना और समाज में समान अवसरों तथा सम्मान की आवश्यकता पर विचार करना भी है।

महापरिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया जा रहा है। उनका जीवन भारतीय लोकतंत्र में वंचित समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।

विनम्र श्रद्धांजलि! मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहें।

सामाजिक न्याय, समानता, स्वाभिमान और बहुजन चेतना के विचारों को नमन।

पुलिस पंचायत में सुनवाई से पहले ही बेटे ने मांगी माफी, बोला- अब बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा

जमीन के सौदे में 10 लाख रुपए वापसी पर दिवाली तक की मोहलत, हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी में झूठे वादे की शिकायत पर एजेंट से दस्तावेज तलब

सीहोर।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना के निर्देश पर गठित सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की बैठक पुलिस कार्यालय में आयोजित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के नेतृत्व में आयोजित बैठक में सीनियर सिटीजन से जुड़े विभिन्न विवादों और शिकायतों की सुनवाई की गई। पंचायत में जमीन संबंधी विवाद, पारिवारिक कलह, बीमा पॉलिसी में कथित गुमराह करने और जमीन पर कब्जे से जुड़े मामलों पर दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठकर समाधान की दिशा में प्रयास किए गए।

बैठक में कोर कमेटी सदस्य अनिल पालीवाल, साधु राम शर्मा, कमल सिंह ठाकुर और विपुल चांडक सहित संबंधित पक्ष मौजूद रहे। पंचायत ने मामलों में कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराने पर भी जोर दिया।

? 10 लाख रुपए का जमीन सौदा रद्द, दिवाली तक लौटानी होगी पूरी राशि ग्रामीण क्षेत्र के एक सीनियर सिटीजन ने शिकायत की थी कि जमीन खरीदने के लिए सौदा तय होने के बाद उन्होंने विक्रेता को 10 लाख रुपए दिए थे। बाद में पता चला कि विक्रेता की स्थिति ऐसी नहीं है कि जमीन का विक्रय संभव हो सके। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से सौदा रद्द कर दिया गया और राशि वापस करने की बात हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार अनावेदक ने कुछ रकम वापस भी की, लेकिन शेष राशि लौटाने में देरी की जा रही थी।

पुलिस पंचायत में सुनवाई के दौरान अनावेदक पक्ष ने पूरी राशि लौटाने के लिए समय मांगा। पंचायत ने दोनों पक्षों को समझाया कि विवाद कानूनी रूप से लंबा खिंचने पर दोनों पक्षों का समय और संसाधन खर्च होंगे। आपसी



सहमति से समाधान होने पर दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहेंगे। चर्चा के बाद सहमति बनी कि दिवाली तक आवेदक की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। तय समय में राशि वापस नहीं करने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की बात भी स्पष्ट की गई।

? बेटे ने मांगी माफी, कहा- अब शराब पीकर झगड़ा और परेशान नहीं करूंगा

सीहोर निवासी एक सीनियर सिटीजन ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की थी कि वह शराब पीकर उन्हें परेशान करता है, गाली-गलौज करता है और परिवार के अन्य सदस्यों से भी विवाद करता है। शिकायत को सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत में सुनवाई के लिए लिया गया था।

निर्धारित तारीख पर आवेदक पंचायत में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि पंचायत में सुनवाई होने की जानकारी मिलने के बाद बेटे ने उनसे माफी मांग ली है। बेटे ने भविष्य में लड़ाई-झगड़ा नहीं करने और उन्हें परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया है। आवेदक ने बताया कि पंचायत की कार्रवाई की जानकारी मात्र से ही बेटे ने अपना व्यवहार बदला

और उन्हें दोबारा सम्मान मिला। आवेदक ने पुलिस पंचायत की कार्रवाई की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। पंचायत की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करें।

? 10 हजार की पॉलिसी बताकर कराया बीमा, दूसरे साल मांगे 30 हजार

शहर क्षेत्र की एक सीनियर सिटीजन महिला ने शिकायत की कि एक निजी हेल्थ इश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी ने कथित तौर पर झूठे वादे और जानकारी देकर उनसे पॉलिसी कराई। महिला के अनुसार पहले उनसे 10 हजार रुपए जमा कराए गए और बताया गया कि दो साल बाद हर वर्ष उन्हें इसी तरह की राशि प्राप्त होगी। बाद में उनसे 30 हजार रुपए और जमा करने की मांग की गई, जिस पर उन्हें संदेह हुआ।

पुलिस पंचायत ने महिला की पॉलिसी के दस्तावेजों की जांच की। प्रारंभिक तौर पर पॉलिसी हेल्थ इश्योरेंस की पाई गई। दस्तावेजों में रिफंड का प्रावधान नहीं होने तथा प्रीमियम राशि

हजार रुपए होने की जानकारी सामने आई। मामले में पंचायत ने संबंधित अनावेदक पक्ष को दस्तावेजों सहित अगली सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण में आगे की कार्रवाई दस्तावेजों और दोनों पक्षों के कथनों के आधार पर की जाएगी।

? 75 वर्षीय बुजुर्ग की जमीन पर भतीजे का कब्जा, पंचायत में बनी सहमति

रहटी क्षेत्र के 75 वर्षीय सीनियर सिटीजन ने शिकायत की थी कि उनकी कृषि भूमि पर उनके भतीजे ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बहन की जमीन भी उसी के कब्जे में है।

सुनवाई के दौरान अनावेदक पक्ष ने बताया कि आवेदक उनके एक ताऊ के मकान में रहते हैं और यदि वह मकान खाली कर दें तो वह जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं। पंचायत में दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच की गई। मकान को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए, इसलिए इस हिस्से में दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने की

10 बात कही गई।

हालांकि कृषि भूमि के संबंध में पंचायत में स्थिति अलग रही। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जिस कृषि भूमि को आवेदक की बताया गया, उस पर अनावेदक का कब्जा उचित नहीं पाया गया। पंचायत द्वारा अनावेदक से आवेदक की कृषि भूमि उन्हें सौंपने के लिए कहा गया। इस पर अनावेदक ने सहमति जताई और अपनी-अपनी जमीन पर खेती करने पर सहमति बनी।

पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जमीन का कब्जा दिलाने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है तो आवेदक को पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मकान से संबंधित विवाद को दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट करने की बात कही गई। दोनों पक्षों को विवाद की स्थिति पैदा नहीं करने की समझाइश देते हुए प्रकरण के समाधान की दिशा में सहमति दर्ज की गई।

? अन्य मामलों में भी हुई सुनवाई सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत में इन चार प्रकरणों के अलावा अन्य मामलों की भी सुनवाई की गई। कुछ प्रकरणों में आगामी सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई, जबकि कुछ मामलों में संबंधित पक्षों को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। पंचायत का उद्देश्य सीनियर सिटीजन की शिकायतों को गंभीरता से सुनकर उन्हें समयबद्ध तरीके से राहत दिलाना और पारिवारिक एवं संपत्ति संबंधी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराना रहा।

पंचायत ने सीनियर सिटीजन को भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों पर आवश्यकतानुसार पुलिस और वैधानिक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी या असुरक्षा का सामना न करना पड़े।

यातायात पुलिस के द्वारा मारपीट करने के मामले को लेकर पीड़ित ट्रक ड्राइवर ने अनूपपुर पुलिस अधीक्षक के पास लगाई गुहार

अनूपपुर जिले में पुलिस व्यवस्था बेलगाम हो चुकी है चाहे यातायात पुलिस हो या फिर थाने कि पुलिस हो पुलिस के आला अधिकारी पुलिस की छवि सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को ठेगा दिखाते हुए मी लार्ड बन चुके हैं।

आइये जानते हैं क्या था मामला

मामला यातायात पुलिस व्यवस्था से है, सुबह 5.30 बजे दिन मंगलवार तारीख 6 अक्टूबर का है विनोद साकेत नाम का ट्रक ड्राइवर अमरकंटक तिराहे से अमरकंटक रोड पर स्थित लवकुश पेट्रोल पंप पर अपनी ट्रक जैसे ही खड़ा करता है पेट्रोल भरवाने

के लिए, उतने में ठीक पीछा करते हुए उमेश सिंह कि टीम पहुंच जाती है और ट्रक ड्राइवर विनोद साकेत को कालर पकड़ कर खींचते हुए ट्रक से नीचे खींच लाती है तथा उसके बाद उसके गर्दन पर हाथ में पहने कड़े से जोरदार गर्दन पर हमला करती है जिससे विनोद साकेत को अंदरूनी चोट पहुंचती है सिर चकराने लगता है, पीड़ित ट्रक ड्राइवर ने पूछा कि साहेब क्या गुलती हो गई है जिसके चलते आपने हमला कर दिया तो उमेश सिंह ने मां बहन कि तथा जाति सूचक गाली गलौज करने के साथ कहने लगे कि तुमने नो इंटी जोन पार कर लिया है इस कारण तुझे सबक सिखाया है, यहां तक 5000 रूपयों की रसीदें काट दी गई है जबकि ट्रक

ड्राइवर ने बताया कि वह नो इंटी लगने से पहले नो इंटी जोन पार कर चुका था, कुछ दिन पहले तिपान नदी के पास अवैध रूप से 500-500 रूपयों कि वसूली की जा रही थी जिसका मैंने विरोध किया था, हालांकि यह आरोप ट्रक ड्राइवर ने यातायात व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों के ऊपर लगाए हैं और जांच का विषय बना हुआ है कि क्या पैसे न देने पर पुलिस हमला कर देती है जबकि सरकार द्वारा इनको वेतन भी उपलब्ध कराई जाती है। यदि जिनके हाथों में जनता कि सुरक्षा करने कि दायित्व है यदि वही रक्षक की जगह भक्षक की जगह ले ले तो आरजकता को फैलने से कोई नहीं रोक सकता है

अवैध मदिरा के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2.74 लाख की शराब जब्त

मेहतवाड़ा में आरोपी के मकान पर आबकारी टीम की दबिश, 67 पेटी देशी-विदेशी मदिरा बरामद; आरोपी गिरफ्तार

सीहरा।

जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, ऋय-विक्रय और परिवहन के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के. के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने आष्टा वृत्त के ग्राम मेहतवाड़ा, थाना जावर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक रिहायशी मकान से बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी मदिरा जब्त की है। कार्रवाई में कुल 601 बल्क लीटर मदिरा, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 2 लाख 74 हजार 450 रुपये बताई गई है, बरामद हुई है। * मकान में रखी मिली 67 पेटी मदिरा

जिला आबकारी अधिकारी श्री दीप सिंह राठौर ने बताया कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम मेहतवाड़ा में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी रोहित सिंह ठाकुर (29 वर्ष), निवासी ग्राम मेहतवाड़ा के रिहायशी मकान की जांच की गई। इस दौरान मकान से 62 पेटी देशी मदिरा और 5 पेटी विदेशी मदिरा बरामद हुई। बरामद मदिरा की कुल मात्रा 601 बल्क लीटर है। * 2 लाख 74 हजार 450 रुपये की शराब जब्त आबकारी विभाग के अनुसार जब्त की गई देशी एवं विदेशी मदिरा की अनुमानित बाजार



कीमत 2,74,450 रुपये है। बड़ी मात्रा में मदिरा मिलने के बाद विभाग ने आरोपी के खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रूप से शराब के संग्रहण और कारोबार में शामिल लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी है। * आबकारी अधिनियम की

धाराओं में मामला दर्ज मामले में आरोपी रोहित सिंह ठाकुर के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

* अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम ने की कार्रवाई कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश विश्वकर्मा एवं श्रीमती संगीता नायक के नेतृत्व में की गई। टीम में आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री रिया जैन, श्री माधव कुण्डल, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री वैभव नागवंशी,

आरक्षक सुश्री रामसखी, सुश्री शिखा एवं सुश्री हिमानी सहित नगर सैनिक और जिला आबकारी दल के कर्मचारी शामिल रहे।

* जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जांच और दबिश की कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत मेहतवाड़ा में की गई कार्रवाई में बड़ी मात्रा में देशी-विदेशी शराब बरामद हुई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के कारोबार से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

'सेवा मेरा योगदान' के तहत नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर आयोजित

अनूपपुर।

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद अनूपपुर, विकासखंड जैतहरी में सेवा मेरा योगदान के तहत स्वास्थ्य विभाग एवं सेक्टर क्रमांक - 02 (अमगवा) एमएसडब्ल्यू के छात्र, समाजसेवी बबलू राठौर के सहयोग से नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन दिनांक 06.10.2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी के प्रांगण में किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा उपलब्ध कराना तथा दृष्टि संबंधी समस्या से जूझ रहे लोगों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं दवा, चश्मा उपलब्ध कराना रहा। शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी के बीएमओ डॉ. श्याम जी के मार्गदर्शन एवं चिकित्सकीय सहयोग से लोगों की आंखों की जांच कराई गई। डॉ. राय सिंह जी द्वारा उपस्थित लोगों की नेत्र जांच करते हुए उनकी दृष्टि संबंधी समस्याओं



का परीक्षण किया गया। जांच के उपरांत जिन लोगों को चश्मे की आवश्यकता पाई गई, उन्हें आवश्यकतानुसार चश्मे एवं दवा वितरित किए गए। साथ ही लोगों को आंखों की नियमित जांच कराने, आंखों की देखभाल करने तथा दृष्टि संबंधी किसी भी समस्या को नजर अंदाज न करने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड जैतहरी के ब्लॉक समन्वयक श्री फते सिंह जी, सेक्टर क्रमांक 04 के परामर्शदाता श्री टीकम नायक सिंह जी की गरिमाययी उपस्थिति रही। वहीं नगर विकास प्रस्फुटन समिति जैतहरी की सदस्य एवं

एमएसडब्ल्यू की छात्रा श्री मति द्रोपती राठौर जी, सचिव श्रीमती रेखा पाठक जी शिविर में उपस्थित होकर सेवा कार्य में सहभागिता करते हुए शिविर की व्यवस्थाओं में सहयोग किए। इस अवसर पर छात्र - छात्राएं सुनीता राठौर, पद्मा राठौर एवं शालिनी राठौर, देवमणि राठौर, अमर राठौर व बीएसडब्ल्यू की छात्रा रिया राठौर, पूनम राठौर, शिवा पाठक सहित अन्य छात्र-छात्राओं एवं सहयोगियों ने शिविर की व्यवस्थाओं में सहयोग किया। सभी ने लोगों को शिविर की जानकारी देने, पंजीयन कराने, नेत्र जांच के लिए व्यवस्थित रूप से पहुंचाने तथा चश्मा वितरण के पश्चात उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने

में सहयोग किया।

समाजसेवी एमएसडब्ल्यू छात्र बबलू राठौर ने कहा कि समाज सेवा का वास्तविक उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई लोग आंखों की समस्या होने के बावजूद समय पर जांच एवं चश्मा नहीं बनवा पाते हैं। ऐसे लोगों को निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा उपलब्ध कराना मानव सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सेवा मेरा अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं जनजागरूकता से जुड़े सेवा कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। शिविर में पहुंचे लोगों ने निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण की पहल की सराहना करते हुए आयोजकों, चिकित्सकीय टीम एवं सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन सेवा भावना और समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता के संकल्प के साथ हुआ।

पीएनजी समन्वय समिति के सत्यापन उपरांत ही एलपीजी सप्लाई बंद की जाए

भोपाल।

पीएनजी कनेक्शन के संबंध में आयुक्त खाद्य श्री दिनेश जैन द्वारा सीजीडी(सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि कॉलोनियों में पीएनजी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू होने के बाद पीएनजी समन्वय समिति द्वारा सत्यापन उपरांत ही संबंधित उपभोक्ता की एलपीजी सप्लाई बंद की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। वर्तमान में भोपाल जिले में 4 सोसायटी जिसमें सागर लेक व्यू होम्स अयोध्या बायपास, सौम्या पार्क लैण्ड अवधपुरी, आकृति ग्रीन्स सलैया एवं कैनाल किंनशिप सलैया एलपीजी फ्री घोषित की गई है। इन कॉलोनियों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। थिंक गैस कंपनी के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन पूर्व से उपलब्ध हैं, उन्हें भी एलपीजी फ्री श्रेणी में रखा गया है। यह जानकारी भी दी गई है कि भारत सरकार के राजपत्र अनुसार जिन क्षेत्रों में पीएनजी की उपलब्धता है, वहां उपभोक्ताओं को नोटिस देने के 90 दिवस बाद एलपीजी सप्लाई बंद करने के प्रावधान हैं। भोपाल जिले के 88 प्रतिशत एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा ई-केवायसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विगत 06 माह में 06 बार ई-केवायसी की अनिवार्यता के लिये समय-सीमा बढ़ाई गई है। एक अक्टूबर 2026 तक जिन उपभोक्ताओं के द्वारा ई-केवायसी नहीं कराई गई है, उन्हें गैस रिफिल बुकिंग की सुविधा गैस कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार अस्थायी रूप से बंद की गई है, जो संबंधित उपभोक्ता द्वारा ई-केवायसी कराये जाने पर तत्काल पुनः प्रारंभ हो सकेगी। उपभोक्ता गैस एजेंसी अथवा ऑयल कंपनी के ऐप के माध्यम से भी घर बैठे ई-केवायसी कर सकते हैं।